<u>न्यायालय:— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क.-632/14</u> संस्थित दिनांक- 30.10.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 28.07.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 456, 354 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 20.10.2014 को समय रात करीब 01:00 बजे ग्राम गोधन में फरियादियां सीमाबाई के घर में घुसकर रात्रौ गृह भेदन कारित कर फरियादियां सीमाबाई, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियदिया सीमाबाई का पित मुकेश कुशवाह इन्दौर में प्रायवेट नौकरी करता है दिनांक 20.10.2014 को रात करीब 01:00 बजे फरियादियां सीमाबाई पेशाब करने के लिये उठी, बाथरूम करके अपने कमरे के अंदर दरवाजा बंद करने को हुयी थी तो उसी समय किसी ने उसे पीछे से पकड लिया, सीमाबाई ने जब मुडकर देखा तो वह गावं का ही जस्सू कुशवाह था। जब सीमाबाई चिल्लायी तो जस्सू उसे छोडकर, मकान के पीछे की बागड को कूंदकर भाग गया, सीमाबाई ने पूरी बात अपनी सास रामाबाई चिचया सास कमला बाई एवं जेठ दीनेश को बतायी। फरियादियां नें घटना की रिपोर्ट दिनांक 09.04.2013 को पुलिस थाना चंदेरी में जाकर की। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध कमांक—464/14 अंतर्गत धारा—456, 354 भाठद०वि० के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि फरियादियां सीमा कुशवाह (अ०सा0—5) के द्वारा दिनांक—29.08.2016 को अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (1) एवं 320 (2) दप्रसं के प्रस्तुत किये गयें थे। अभियुक्त पर आरोपित अपराध शमनीय न होने से उक्त आवेदन उक्त दिनांक को ही निरस्त किये गये।
- 04—अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूटा फंसाया गया है।

05-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.10.2014 को समय रात करीब 01:00 बजे ग्राम गोधन में फरियादियां सीमाबाई के घर में घुसकर रात्रौ गृह भेदन कारित की ?
2.	क्या उक्त दिनांक समय व स्थान अभियुक्त के द्व ारा फरियादियां सीमाबाई, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
3	दोष सिद्धि व दोष मक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 2 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

06—सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आयी साक्ष्य की पुनः्वृत्ति रोकने के लिये उपरौक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। फरियादिया सीमा (अ0सा0—5) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि एक साल पहले रात्रि 12:00 बजे की घटना हैं, वह अपने घर पर सो रही थी, उसके पित काम पर बाहर गये थे तथा घर पर जेठ और जेठानी थी। फरियादिया के अनुसार कोई व्यक्ति उसके घर में घुस आया था, जब वह पेशाब करने उठी थी तो उसे देखकर वह व्यक्ति भाग गया था फरियादिया का कहना है कि अंधेरा होने के कारण उस व्यक्ति को नहीं पहचान पायी थी। सीमा (अ0सा0—5) का कहना है

कि इस घटना के बारे में उसने अपने सास और जेठ को बताया था जिसके बाद घटना के दूसरे दिन उन्होंने चंदेरी थाने पर जाकर प्रदर्श—पी 5 की रिपोर्ट लेख करायी थी।

- 07—फरियादियां सीमा (अ०सा०—5) के उपरोक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गयी तथा फरियदियां के उपरोक्त कथन अभियोजन घटना का इस बात पर तो समर्थन करते हैं कि रात्रि के 12 बजे के लगभग घटना दिनांक को कोई व्यक्ति फरियादियां के घर में घुस आया था, परन्तु उक्त व्यक्ति अभियुक्त था तथा अभियुक्त ने घर में घुसकर बुरी नीयत से फरियादियां को पकड़ा था या फरियादियां ने उस व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में पहचान लिया था, इस संबंध में फरियादियां सीमा (अ०सा०—5) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया।
- 08—सीमा (अ0सा0—5) के द्वारा अभियोजन घटना के विरुद्ध अभियुक्त के संबंध में कोई कथन न्यायालय में न देने से उसे अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु सीमा (अ0सा0—5) ने अपने परीक्षण में इस बात पर अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नही किया कि अभियुक्त ही वह व्यक्ति था जो उसके घर में घुसा था और अभियुक्त ने उसे बुरी नीयत से पीछे से पकडा था। फरियादिया सीमा (अ0सा0—5) ने अभियोजन के द्वारा दिये गये उपरोक्त संबंध में दिये गये सुझावों का स्पष्ट खण्डन किया है तथा फरियादियां का अभियोजन कहानी के विपरीत यह कहना है कि उसने अपनी पुलिस रिपोर्ट में एवं पुलिस को दिये गये कथनों में यह लेख नही कराया था कि अभियुक्त उसके रात्रि में उसके घर में घुसा था, जिसने बुरी नीयत से उसे पकडा था।
- 09—कमला (अ0सा0—3) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि अवश्य की है कि घटना दिनाक को रात्रि 12:00 बजे जब वह घर में सो रही थी, तो सीमा (अ0सा0—5) के रोने की आवाज से उसकी नींद खुल गयी थी तो उसने घर पर जाकर सीमा से पूछा था तो सीमा ने उसे बताया था कि कोई व्यक्ति घर में आ गया है, परन्तु इस साक्षी ने भी अभियोजन घटना के विरूद्ध यह व्यक्त किया है कि सीमा ने उस व्यक्ति का नाम उसे नही बताया था। कमला (अ0सा0—3) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों पर कोई प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के द्वारा नही किया गया। इस साक्षी का भी न्यायालय द्वारा परीक्षण किये जाने पर उसका यह कहना है कि सीमा ने उसे नही बताया था कि घर में घुसा हुआ व्यक्ति अभियुक्त था तथा अभियुक्त ने सीमा से कहा

था कि चिल्ला मत 500 / - रूपये ले ले।

- 10—अतः सीमा (अ०सा0—5) व कमला (अ०सा0—3) के कथन से यह तो प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को कोई व्यक्ति फरियादियां सीमा (अ०सा0—5) के घर में घुस आया था जो सीमा को देखकर भाग गया था, परन्तु वह व्यक्ति अभियुक्त था, और अभियुक्त ने ही सीमा को बुरी नियत से पकडा था यह इन दोनों साक्षियों के कथनों से साबित नहीं होता है। अभियोजन की ओर से प्रकरण में फरियादिया के जेठ दिनेश (अ०सा0—1), रामचरण (अ०सा0—2) व चाची रामबाई (अ०सा0—4) व बिनीता बाई (अ०सा0—7) एवं प्रकाश कुशवाह (अ०सा0—8) के कथन न्यायालय में कराये गये है परन्तु उपरोक्त किसी भी साक्षी ने अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है तथा घटना की जानकारी होने से ही इन्कार किया हैं तथा इन साक्षियों के द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उन्होंने पुलिस को भी इस संबंध में कोई कथन नहीं दिये हैं।
- 11—दिनेश (अ0सा0—1), रामचरण (अ0सा0—2) व चाची रामबाई (अ0सा0—4) व बिनीता बाई (अ0सा0—7) एवं प्रकाश कुशवाह (अ0सा0—8) के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इन साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया परन्तु इन साक्षियों ने अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में दिये और न ही घटना के संबंध में पुलिस को कथन देना बताया। अतः इन साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 12—अतः अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये, फरियादी सहित किसी भी साक्षी ने अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में कोई कथन आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन घटना की पुष्टि करते हुये नही दिये हैं। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट लेख कराये जाने के बाद भी फरियादी सीमा (अ0सा0—5) इस बात से स्पष्ट इन्कार करती है कि उसने अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी में नामजद रिपोर्ट लेख करायी थी तथा अभियुक्त ही वही व्यक्ति था जो उसके घर में घुसा था और उसे बुरी नियत से पकड़ा था और इस संबंध में पुलिस को भी कथन दिये हैं। अतः यदि फरियादी के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध कोई रिपोर्ट ही लेख नही करायी गयी तथा फरियादी सहित अन्य किसी साक्षी ने भी अभियुक्त को घटना दिनांक को फरियादी के घर में घुस कर बुरी नियत से फरियादिया का पकड़ते हुये नही देखा है तो उपरोक्त आधार पर साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध

के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नही है।

- 13— फलस्वरूप अभिलेख आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नही हुआ है कि अभियुक्त ने दिनांक 20.10.2014 को समय रात करीब 01:00 बजे ग्राम गोधन में फरियादियां सीमाबाई के घर में घुसकर रात्रौ गृह भेदन कारित कर फरियादियां सीमा बाई, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया।
 - 14—फलस्वरूप<u>अभियुक्त जस्सू कुशवाह पुत्र हरू कुशवाह</u>के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा—456, 354, के आरोप साबित नही होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त जस्सू कुशवाह पुत्र हरू कुशवाह को भा०दं०वि० की धारा— 456, 354 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
 - 15—<u>अभियुक्त जस्सू कुशवाह पुत्र हरू कुशवाह</u> के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्त का धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तश्रदा सम्पत्ति क्छ नही है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)